क्रम-संख्या–119

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2020

श्रावण 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज अनुभाग–2

संख्या 1621/33-2–2020-122जी-2013टी0सी0-III

लखनऊ, 13 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प0आ0–180

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 40, 44 और धारा 46 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 237 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 1966 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 22 का संशोधन

2–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
22–परिवीक्षा और परिवीक्षा अवधि का बढ़ाया जाना, आदि– किसी भी संवर्ग के पद पर नियुक्त किए जाने पर सभी अभ्यर्थी एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखे जाएंगेः प्रतिबन्ध यह है कि किसी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी समकक्ष अथवा उच्च पद पर की गयी स्थायी या लगातार अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा की गणना राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से की जा सकती हैः प्रतिबन्ध यह भी है कि मुख्य अधिकारी की सिफारिशों पर, जो जिला परिषद के, जिसमें वह कार्य कर रहा हो, अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएंगी, राज्य सरकार किसी भी अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है। बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक के लिए वह बढ़ायी जाए और यह भी उल्लिखित होगा कि बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनकाल मान में वेतन वृद्धि के लिए की जाएगी अथवा नहीं।	**22–परिवीक्षा और परिवीक्षा अवधि का बढ़ाया जाना, आदि**– किसी संवर्ग के पदों पर नियुक्ति पर समस्त अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाएंगेः प्रतिबन्ध यह है कि किसी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी समकक्ष अथवा उच्च पद पर की गयी स्थायी या निरन्तर अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा की गणना राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अवधि के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से की जा सकती हैः प्रतिबन्ध यह भी है कि मुख्य अधिकारी की सिफारिशों, जो जिला पंचायत जिसमें वह कार्यरत हो, के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित की जाएंगी, पर राज्य सरकार किसी भी अभ्यर्थी के मामले में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है। ऐसी किसी परिवीक्षा अवधि बढ़ाये जाने का अनुमोदन करने वाले आदेशों में ऐसा निश्चित दिनांक, विनिर्दिष्ट होगा जिस दिनांक तक उक्त अवधि बढ़ायी गयी हो और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि बढ़ायी गयी अवधि की गणना समयमान में वेतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ की जायेगी अथवा नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1621/XXXIII-2–2020-122G-2013T.C.-III, dated August 13 , 2020 :

No. 1621/XXXIII-2–2020-122G-2013T.C.-III
Dated Lucknow, August 13, 2020

IN exercise of the powers under section 237 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961), *read* with section 40, 44 and sub-section (2) of section 46 of the said Adhiniyam and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Zila Panchayat (Central Transferable Cadre) Rules, 1966.

THE UTTAR PRADESH ZILA PANCHAYAT (CENTRAL TRANSFERABLE CADRE) (TENTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1). These rules may be called the Uttar Pradesh Zila Panchayat (Central Transferable Cadre) (Tenth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette.*

Amendment of rule 22

2. In the said rules *for* rule 22 set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be *substituted,* namely :-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
22. Probation and extension of the period of probation *etc.*– All candidates on appointment to posts in any of the cadres shall be placed on probation for a period of one year:	**22. Probation and extension of the period of probation *etc.***–All candidates on appointment to posts in any of the cadres shall be placed on probation for a period of two years:
Provided that permanent or continuous temporary or officiating service rendered in a post included in any cadre or in an equivalent or higher post may be counted by the State Government, in whole or in part, towards the period of probation:	Provided that permanent or continuous temporary or officiating service rendered in a post included in any cadre or in an equivalent or higher post may be counted by the State Government, in whole or in part, towards the period of probation:
Provided further that on the recommendations of the Mukhya Adhikari, which shall be sent to the State Government through the Adhyaksha of the Zila Parishad in which he is serving, the State Government may in the case of any candidate extend the period of probation. The orders sanctioning any such extension of the period of probation shall specify the exact date up to which extension has been made and whether or not the extended period will count for purposes of increment of pay in time-scale.	Provided further that on the recommendations of the Mukhya Adhikari, which shall be sent to the State Government through the Adhyaksha of the Zila Panchayat in which he is serving, the State Government may in the case of any candidate extend the period of probation. The orders sanctioning any such extension of the period of probation shall specify the exact date up to which extension has been made and whether or not the extended period will count for purposes of increment of pay in time-scale.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 158 राजपत्र–2020–(418)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 पंचायतीराज–2020–(419)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।